Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

13-2019/Ext.] चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी, 2019
(28 पौष, 1940 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग– II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग– III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 5/संवि०/अनु०309/2019, दिनांक 18 जनवरी, 2019 – हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा (संशोधन) नियम, 2019.	19—20
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग– IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–III

हरियाणा सरकार

कार्मिक विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जनवरी, 2019

संख्या सा०का०नि० 5/संवि0/अनु0309/2019,– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श से, इसके द्वारा, हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा नियम, 2007, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा (संशोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा नियम, 2007 में, नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"8. पदोन्नति के लिए प्रक्रिया उपरोक्त नियम 6 के उप नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन पदोन्नति के लिए हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के सदस्य की योग्यता तथा उपयुक्तता के निर्धारण तथा परीक्षण के लिए, उच्च न्यायालय–

(i) विधिक ज्ञान अभिनिश्चित करने तथा विधिक क्षेत्र में दक्षता का परीक्षण करने के क्रम में 75 अंकों की लिखित वस्तुनिष्ठ तथा 25 अंकों की मौखिक परीक्षा आयोजित कर सकता है ;

(ii) सम्बद्ध अधिकारी की पूर्ववर्ती पांच वर्ष की वार्षिक गोपनीय रिर्पोटों को ध्यान में रख सकता है:

परन्तु किसी वर्ष में ग्रेड सी (संदेहात्मक ईमानदारी) रखने वाला कोई अधिकारी पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।"।

डी० एस० ढेसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

PERSONNEL DEPARTMENT

Notification

The 18th January, 2019

No. G.S.R. 5/Const./Art. 309/2019.- In exercise of the powers conferred by article 233 read with the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana in consultation with the High Court of Punjab and Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Superior Judicial Service Rules, 2007, namely: -

1. These rules may be called the Haryana Superior Judicial Service (Amendment) Rules, 2019.

2. In the Haryana Superior Judicial Service Rules, 2007 for rule 8, the following rule shall be substituted, namely: -

"8. Procedure for promotion for assessing and testing the merit and the suitability of a member of the Haryana Civil Service (Judicial Branch) for promotion under clause (a) of sub-rule (1) of rule 6, the High Court may -

(i) hold a written objective test of 75 marks and viva voce of 25 marks in order to ascertain and examine the legal knowledge and efficiency in legal field;

(ii) take into consideration Annual Confidential Reports of the preceding five years of the officer concerned:

Provided that any officer having grading as C (integrity doubtful) in any year shall not be eligible to be considered for promotion.".

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government, Haryana.

8528—L.R.—H.G.P., Pkl.